न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्री अगीलाल यादव R.A.S.

न. मु. 103/2025

1 श्रीमती मोहनी देवी पत्नि खुमाराम गोदारा जाति जाट निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीया

बनाम

1 मुकुन्दा पुत्र हरलाल जाति मेघवाल निवासी झून्झूनू तहसील बीदासर जिला चूरू
2 रणजीत पुत्र मुलाराम जाति मेघवाल निवासी डुगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
3 लक्ष्मीपत पुत्र लालुराम जाति मेहतर निवासी बाल्मीकी बस्ती बीदासर तह.बीदासर चूरू
4 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार, तहसील कार्यालय बीदासर (चूरू)

प्रतिवादीगण

5 बबीतादेवी पत्नि गोपालचन्द जाति जाट निवासी चाड़वास तह. बीदासर जिला चूरू
6 लक्ष्मीगोदारा पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी चाड़वास तह. बीदासर जिला चूरू

गौण प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट वादीया
पैरोकार राज. प्रतिवादी स. 4

निर्णय

दिनांक :– 9/4/2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 एवं गौण प्रतिवादी सख्या 5, 6 के सयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 1296 रकबा 5.0586 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1296/1798 रकबा 5.6276 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 10.6862 हैक्टेयर (42–05 बीघा) वाके रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित चले आ रहे है वादी, गौण प्रतिवादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 व 3 का खान पान लेन देन सब अलग अलग है तथा वादगत खेत को भी हिस्सा मुताबिक अलग अलग ही काश्त करते आ रहे है तथा वादी, गौणप्रतिवादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 के आपसी तौर पर विभाजन मौखिक रूप से किया है। वादी, गौण प्रतिवादी अपने हिस्सा पांती की खरीद शुदा भूमि को खरीद के वक्त से काश्त करती आ रही है परन्तु वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है जिसके कारण वादीया को कई प्रकार की कानुनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 सींव को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है जिसके कारण वादी अपने हिस्से पांती व कब्जा काश्त के खेत में अपने हिस्सा भूमि की खातेदारी का विधिवत आधार पर विभाजन करवा कर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी

लगातार.....2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अपने नाम से पृथक दर्ज करवा कर लगान का विभाजन करवाना चाहती है जिसकी वादी कानूनी अधिकारीनी है। वादीया का वादगत खेत में हिस्सा मुताविक भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है वादगत खातेदारी भूमि खेतों में वादीया के कब्जा काश्त एवं मालिकाना खातेदारी अधिकारों की भूमि है भूमि मौके पर कब्जा काश्त अनुसार स्थित है जिनकी मौके पर अलग अलग सींव कायम है तथा अपनी अपनी हिस्सेदारी की सीमा के अलामात यथा रोपी हुई पट्टी कातळा, डोळा, तारवन्दी, वाड़ आदि मौके पर मौजूद है वादीया ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 से कई वार आपसी तौर पर वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 वादगत खेत की सींव को काट कर समाप्त कर देते है तथा कई वार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जवरन कब्जा करेगें, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 ने वादीया के खिलाफ एक नाजायज गिरोह वना लिया है वादीया शान्तिप्रिय, कानून में विश्वास रखने वाली महिला है वादीया ने प्रतिवादीगण से अन्तिम वार दिनांक 20—06—2025 को निवेदन किया कि वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवा देवें तथा मुझ वादीया के कब्जा काश्त में दखत अन्दाजी नहीं करें का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 एवं गौण प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादीया को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि में तुम्हारे हिस्सा पर जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेत में पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेत का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है जव तव प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का विना विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है लेकिन प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 गौणप्रतिवादी सख्या व वल में अधिक होने तथा पैसे वाले, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त वलशाली व्यक्ति, भू—माफिया लोगो से सांठगांठ रखने वाले व्यक्ति है जिनका बलपूर्वक मुकावला करने में वादीया असमर्थ है इसलिए वादीया के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा डिक्री से प्रतिवादीगण को वर्जित करावें कि जब तक वादगत खेत का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तव तक वादगत खेत के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, वन्धक, हस्तान्तरण, वैय आदि नहीं करें ना ही वादी के हकहिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी देवें तथा ना वादीया को उसके हक हिस्सा की भूमि से जवरन वैदखल करें। वादगत भूमि खेत की वादीया संयुक्त खातेदार होने से वादीया को विधिवत विभाजन करवाने का सतत वादाधार प्राप्त है तथा प्रतिवादीगण द्वारा 20—06—2025 को ऐलानिया धमकी देने व विभाजन करने से साफ इन्कार होने पर वादीया को वाद हैतुक प्राप्त है। राजस्व वाद वादी प्रतिवादीगण के मध्य नीजि सम्पति होने एवं राज्य हित के विपरीत न होने एवं राज्य हित निहित न होने से प्रतिवादीगण सख्या 04 राजस्थान सरकार को सी. पी. सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है प्रतिवादी सख्या 4 लैण्ड हौल्डर होने से राजस्व रेकार्ड कार्यवाही करने के अधिकारी होने से व कानूनी आपत्तियों को ध्यान में रखकर पक्षकार संयोजित किया गया है। वादीया का वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती का है तथा वादगत खेत वाके रोही वीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय को हर प्रकार से प्राप्त है वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि वादगत खेत खसरा नम्वर 1296 रकवा 5.0586 हैक्टेयर,

लगातार..... 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

खसरा नम्बर 1296/1798 रकबा 5.6276 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 10.6862हैक्टेयर (42–05 बीघा) वाके रोही बीदासर में वादी, गौण प्रतिवादी एवं प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर वादी के हिस्सा भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज की जाकर लगान का विभाजन किया जावें, प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा की डिक्री से वर्जित किया जावें की वादगत खेत का विधिवत रूप से जब तक विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैय आदि नहीं करें और ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी देवे और न ही वादी को उनके हिस्से पांती की भूमि से जबरन बैदखल करें। ना ही प्रतिवादीगण कोई ऐसा तर्क या तर्क फैल स्वयं करें या अपने एजेन्ट से करवाये जिससे वादी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, प्रतिवादी सख्या 4 को आदेश फरमाया जावे की वोह मुताबिक न्यायालय निर्णय एवं डिक्री के राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे, खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे, अन्य अनुतोश जो हितकर वादीया को दिलवाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 व गौण प्रतिवादी स. 5, 6 की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर अदालत नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी सख्या 4 पैरोकार राज ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया। बहस अधिवक्तागण की सुनी जाकर विभाजन प्रस्ताव हेतू तहसीदार बीदासर को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री से विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त। पत्रावली में आये विभाजन प्रस्ताव एवं मौका नक्षा तथा जवाब प्रतिवादीगण के भलीभांती अवलोकन, परिषीलन एवं परीक्षण किया।

बहस उभय पक्षकार के विद्धान अधिवक्ता की सुनी गई एवं पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया। प्रारम्भिक डिक्री आदेश से प्राप्त **विभाजन प्रस्ताव, मौका का नजरी नक्शा** बहस पक्षकार के आधार पर वादी का वाद विभाजन का इस प्रकार स्वीकार कर अन्तिम रूप से डिक्री जारी किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 1296 रकबा 5.0586 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1296/1798 रकबा 5.6276 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 10.6862 हैक्टेयर (42–05 बीघा) वाके रोही बीदासर मे वादीया एवं गौण प्रतिवादी स. 5, 6 का हिस्सा इकजाई रेकॉर्डेड हिस्सा पांती अनुसार व प्रतिवादी स. 1, 2 का हिस्सा पांती का विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति अन्तिम डिक्री के साथ रहे। अन्तिम डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार बीदासर लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें। इस प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9/4/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-टोंक सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
अमीलाल यादव
उपखण्ड अधिकारी, बीदासर